भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1747**

दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को उत्‍तर के लिए

**लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच के लिए नोडल एजेंसी**

**1747. प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडाः**

क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) 2017 से शिकायतें दर्ज करने हेतु बनी ऑनलाइन पोर्टल ‘शी-बॉक्स’ में लैंगिक उत्पीड़न संबंधी प्राप्त शिकायतों, अद्यतन की गई और निपटायी गई शिकायतों की केन्द्रीय, राज्य और निजी क्षेत्र कर्मचारी-वार संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) आंतरिक शिकायत समिति द्वारा त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के कार्यन्वयन और निगरानी की जांच करने के लिए कोई तंत्र अथवा नोडल एजेंसी है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे संस्थानों की संख्या, कार्यों और दायित्वों तथा निपटाये गये मामलों का राज्य-वार, सेक्टर-वार ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

डा. वीरेन्‍द्र कुमार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री

(क) : कार्यस्‍थल पर महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 16 के अनुसार व्‍यथित महिलाओं, प्रतिवादी तथा गवाह की पहचान तथा पता किसी भी ढंग से प्रकाशित, सूचित या आम जनता, प्रैस और मीडिया को अवगत नहीं कराया जाएगा । तथापि, केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्‍य सरकारों या निजी क्षेत्र में, 2017 से ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन पोर्टल शी-बॉक्‍स में प्राप्‍त, अद्यतनीकृत एवं निस्‍तारित यौन उत्‍पीड़न की शिकायतों का ब्‍यौरा क्रमश: **अनुलग्‍नक-।, ।।** और **अनुलग्‍नक-।।।** में उपलब्‍ध है ।

(ख) से (घ) : भारत सरकार तथा राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों के सभी मंत्रालयों/विभागों से कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न से संबंधित मामलों तथा इससे संबंधित कानूनी प्रावधानों एवं निवारण तंत्रों के बारे में कर्मचारियों को सुग्राही बनाने के लिए अपने विभागों/कार्यालयों में कार्यशालाओं एवं जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करने का अनुरोध किया गया है । इसके अलावा, सभी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों से उनके वाणिज्‍यिक एवं उद्योग विभागों के सचिवों को राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में उद्योगों, कारोबारी घरानों एवं निजी क्षेत्र की संस्‍थाओं में समान कार्यशालाओं एवं जागरुकता कार्यक्रमों का आयोजन करने का भी अनुरोध किया गया है ।

 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यस्‍थल पर महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 का प्रभावी कार्यान्‍वयन सुनिश्‍चित करने के लिए एसोसिएटिड चैम्‍बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्रीज़ ऑफ इंडिया (एसोचैम), फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्‍बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्‍ट्रीज़ (फिक्‍की), फैडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्‍ट्रीज़ (सीआईआई), नैशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज़ कंम्‍पनीज़ (नैस्‍कॉम) आदि सहित सभी राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा प्रमुख व्‍यवसाय संघों को समय-समय पर परामर्शी जारी करता है ।

 उपर्युक्‍त के अलावा, पूरे देश में संगठित एवं असंगठित दोनों क्षेत्रों में अधिनियम के बारे में बड़े पैमाने पर जागरुकता पैदा करने के उद्देश्‍य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कार्यस्‍थल पर यौन उत्‍पीड़न के मुद्दे पर क्षमता-निर्माण कार्यक्रम अर्थात प्रशिक्षण कार्यशाला आदि प्रदान करने के लिए 223 संसाधन संस्‍थाओं के एक पूल की पहचान की है ।

 कार्यस्‍थल पर महिलाओं का यौन उत्‍पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 अधिनियम के कार्यान्‍वयन की निगरानी की जिम्‍मेदारी उपयुक्‍त सरकार पर डालता है, जो राज्‍यों के मामले में राज्‍य सरकार है ।

\*\*\*\*\*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.**  | **मंत्रालय का नाम**  | **शिकायतें**  | **अद्यतनीकृत** | **निस्‍तारित** |
| 1 | कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय  | 9 | 6 | 5 |
| 2 | नागर विमानन मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 3 | वाणिज्‍य एवं उद्योग मंत्रालय  | 6 | 4 | 4 |
| 4 | संचार मंत्रालय  | 16 | 9 | 3 |
| 5 | उपभोक्‍ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय  | 2 | 0 | 0 |
| 6 | संस्‍कृति मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 7 | रक्षा मंत्रालय  | 16 | 8 | 8 |
| 8 | इलैक्‍ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 9 | विदेश मंत्रालय  | 2 | 0 | 0 |
| 10 | वित्‍त मंत्रालय  | 21 | 9 | 9 |
| 11 | स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय  | 10 | 9 | 9 |
| 12 | गृह मंत्रालय  | 3 | 0 | 0 |
| 13 | मानव संसाधन विकास मंत्रालय  | 7 | 6 | 1 |
| 14 | सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय | 1 | 0 | 0 |
| 15 | श्रम एवं रोजगार मंत्रालय | 3 | 0 | 0 |
| 16 | खान मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 17 | कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 18 | विद्युत मंत्रालय  | 3 | 0 | 0 |
| 19 | रेल मंत्रालय  | 14 | 0 | 0 |
| 20 | ग्रामीण विकास मंत्रालय  | 2 | 0 | 0 |
| 21 | विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 22 | जहाजरानी मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 23 | सामाजिक न्‍याय एवं अधिकारिता मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 24 | सांख्‍यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्‍वयन मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 25 | पर्यटन मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 26 | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  | 12 | 7 | 5 |
| 27 | युवा कार्यक्रम मंत्रालय  | 1 | 0 | 0 |
| 28 | परमाणु ऊर्जा विभाग  | 1 | 0 | 0 |
| 29 | प्रधानमंत्री कार्यालय  | 2 | 1 | 1 |
|  | **कुल**  | **141** | **58** | **45** |

अनुलग्‍नक -I

**'लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच के लिए नोडल एजेंसी' विषय पर प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडा द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1747 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

**केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में प्राप्‍त, अद्यतनीकृत एवं निस्‍तारित शिकायतों का ब्‍यौरा**

**अनुलग्‍नक -II**

**'लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच के लिए नोडल एजेंसी' विषय पर प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडा द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1747 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

**राज्‍य सरकारों में प्राप्‍त, अद्यतनीकृत एवं निस्‍तारित शिकायतों का ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.**  | **राज्‍य**  | **शिकायतें**  | **अद्यतनीकृत** | **निस्‍तारित** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 2 | 0 | 0 |
| 2 | असम | 1 | 0 | 0 |
| 3 | बिहार | 13 | 7 | 6 |
| 4 | छत्तीसगढ़ | 3 | 0 | 0 |
| 5 | दिल्ली | 2 | 0 | 0 |
| 6 | गुजरात | 4 | 1 | 1 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 2 | 0 | 0 |
| 8 | झारखंड | 1 | 0 | 0 |
| 9 | कर्नाटक | 1 | 0 | 0 |
| 10 | केरल | 4 | 0 | 0 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 3 | 2 | 1 |
| 12 | महाराष्ट्र | 2 | 0 | 0 |
| 13 | ओडिशा | 2 | 1 | 1 |
| 14 | पुडुचेरी | 1 | 0 | 0 |
| 15 | पंजाब | 2 | 0 | 0 |
| 16 | राजस्थान | 3 | 0 | 0 |
| 17 | तमिलनाडु | 1 | 0 | 0 |
| 18 | तेलंगाना | 4 | 0 | 0 |
| 19 | उत्तर प्रदेश | 12 | 2 | 2 |
| 20 | पश्चिम बंगाल | 1 | 0 | 0 |
|  | **कुल**  | **64** | 11 | 11 |

**अनुलग्‍नक -III**

**'लैंगिक उत्पीड़न संबंधी शिकायतों की जांच के लिए नोडल एजेंसी' विषय पर प्रो॰ एम॰ वी॰ राजीव गौडा द्वारा दिनांक 27 दिसंबर, 2018 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1747 के उत्‍तर के भाग (क) में संदर्भित अनुलग्‍नक**

**निजी क्षेत्र में प्राप्‍त, अद्यतनीकृत एवं निस्‍तारित शिकायतों का ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **क्र. सं.**  | **राज्‍य**  | **कुल शिकायतें**  | **अद्यतनीकृत** | **निस्‍तारित** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 8 | 0 | 0 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
| 3 | बिहार | 4 | 1 | 1 |
| 4 | दिल्ली | 23 | 2 | 0 |
| 5 | गुजरात | 3 | 1 | 1 |
| 6 | हरयाणा | 16 | 15 | 9 |
| 7 | हिमाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
| 8 | झारखंड | 1 | 0 | 0 |
| 9 | कर्नाटक | 9 | 0 | 0 |
| 10 | केरल | 6 | 3 | 0 |
| 11 | मध्य प्रदेश | 9 | 9 | 5 |
| 12 | महाराष्ट्र | 33 | 0 | 0 |
| 13 | ओडिशा | 2 | 0 | 0 |
| 14 | पुडुचेरी | 1 | 0 | 0 |
| 15 | पंजाब | 1 | 0 | 0 |
| 16 | राजस्थान | 5 | 1 | 0 |
| 17 | तमिलनाडु | 15 | 11 | 11 |
| 18 | तेलंगाना | 8 | 0 | 0 |
| 19 | त्रिपुरा | 1 | 0 | 0 |
| 20 | उत्तर प्रदेश | 19 | 1 | 1 |
| 21 | उत्तराखंड | 1 | 1 | 1 |
| 22 | पश्चिम बंगाल | 2 | 0 | 0 |
|   | **कुल**  | **169** | **45** | **29** |

\*\*\*\*\*